कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, (कक्ष भू-प्रबंध)

वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/91/842664/0055/9 दिनांक : ई-साइन अनुसार

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय)
वृत्त शहडोल/वृत्त जबलपुर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- जिला अनूपपुर एवं डिण्डौरी के अंतर्गत कपिलधारा बांध निर्माण हेतु 17.418 हे. (वनमंडल अनूपपुर की 3.418 हे. एवं वनमंडल डिण्डौरी की 14.00 हे.) वनभूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध यप्रदेश को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/WATER/50101/2020)

संदर्भ:- 1. मुख्य वन संरक्षक, वृत्त शहडोल का पत्र क्र./माचि./2025/3299, शहडोल, दिनांक 18/06/2025 एवं मुख्य वन संरक्षक वृत्त जबलपुर का पत्र क्र./माचि./5988, जबलपुर, दिनांक 18/08/2025.

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. 6-एमपीआर 032/2023- बीएचओ, दिनांक 22.12.2023.

--0--

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र क्र.-2 से प्रकरण में चाही गई जानकारी आपके द्वारा बिना परीक्षण किये ही संदर्भित पत्र क्र.-1 से इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है, जो सही नहीं है।

आपके संदर्भित पत्र क्र.-1 से प्राप्त जानकारी का निरीक्षण करने पर पाया गया कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र.-2 मे उल्लेखित निम्नलिखित बिन्दुओं के उत्तर में निम्न कमियां है, जो इस प्रकार हैं:-

2. आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्र. D(i) में अपलोड तुलनात्मक विवरण पत्रक 18.605 हे. वनभूमि का अपलोड किया है जबकि परियोजना के निर्माण हेतु 17.418 हे. वनभूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा वनमंडलाधिकारी द्वारा की जाकर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। साथ ही प्रस्तावित वनभूमि की Alternative KML File पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी है।

3. औचित्य टीप पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, अत: परियोजना को वनक्षेत्र में स्थापित करने के संबंध में एक तकनीकि विस्तृत औचित्य टीप तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।

4. प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग का NOC पत्र संलग्न किया गया है, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग आदि विभागों का NOC पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है, प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

7. वनमंडलाधिकारी, अनूपपुर/डिण्डौरी द्वारा प्रस्तुत वृक्षों की जानकारी सही नहीं हैं अत: बांध निर्माण में आने वाले वृक्षों की गणना FRL, FRL-2 मीटर एवं FRL-4 मीटर पर की जाकर गणना पत्रक प्रस्तुत करें।

8. प्रकरण में पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 17.418 हे. वनभूमि के विरूद्ध CA हेतु 36.269 हे. गैर वनभूमि प्रस्तावित की गई थी, इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जावे। साथ ही यह भी लेख है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है।

10. आवेदक संस्था द्वारा जिला कलेक्टर अनूपपुर को FRA प्रमाण पत्र आवंटित करने हेतु लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जबकि परियोजना में डिण्डौरी जिले की वनभूमि भी प्रभावित हो रही है। अत: कलेक्टर जिला डिण्डौरी से भी FRA प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत करें।

11. भारत सरकार के चाहे अनुसार बांध निर्माण से सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव के साथ-साथ आस-पास के वन्यजीवों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में किये गये अध्ययन पर आधारित विस्तृत तकनीकि रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

12. बांध निर्माण हेतु स्थानीय निवासियों/ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे साथ ही बैठक की पूर्ण कार्यवाही मय उपस्थिति पंजी सहित प्रस्तुत किया जावे।

14. भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 01.08.2017 से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप पर Cost Benefit Analysis तैयार किया जाकर पोर्टल पर निर्धारित बिन्दु में अपलोड किया जावे।

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 30-09-2025
13:00:38

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल, अनूपपुर/डिण्डौरी, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमकंटक, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।